न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 14/2017

1. जगदीश पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला तन छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
2. गोपाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला तन छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
3. ख्यालीराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला तन छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
4. रामकुमार पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला तन छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी मुकदमा सरकार बनाम रामकुमार वगैरह
मु0न0 01/2017 निर्णय दिनांक 11.02.2017 अ0 धारा
91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री मदन सिहं गिल, एडवोकेट - अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट - रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक :- 27.09.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 11.02.2017 उनवानी सरकार बनाम रामकुमार वगैरह मु.न. 01/2017 अ.धा. 91 राज. भू-राज. अधि. 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छापोली ने पर्चा मौका यादास्त दिनांक 06.01.17 एक प्रिन्टेड फार्म भरा जिसमें अपीार्थीगण की कदीमी आबादी में अतिकमण होने की रिपोर्ट तहसीलदार उदयपुरवाटी को इस आधार पर की गई अपीलार्थीगण ख.न. 621 रकबा 13.51 हैक्टर गैर मुमकीन पहाड़ में 330 वर्ग मीटर में पक्के मकान व 150 वर्ग मीटर में पानी की टंकी छप्पर बनाकर कदीमी कब्जा में है। ख.न. 621 में सोकडला की

ढाणी जो करीब 40 घरों की सैकड़ों वर्ष पूर्व विकसित बस्ती है लेकिन वो रिकार्ड में आबादी दर्ज नही होने के कारण ग्राम पंचायत छापोली में दिनांक 28.07.2016 को ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 31 इस आशय का लिया कि सक्ष्म अधिकारियों से उपरोक्त भूमि को आबादी विस्तार हेतु दी जाये उक्त प्रस्ताव पर भूमि आवंटन बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने 25.11.16 को चैक लिस्ट बनाई व प्रस्ताव जरिये पत्र प्रस्ताव 16/2292 दिनांक 05.12.16 को तीन प्रतियों में प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को भिजवाया उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने उक्त प्रस्ताव जिला कलेक्टर झुन्झुनूं को भिजवाया जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने अपने पत्र दिनांक 06.01.17 को उपखण्ड अधिकारी से कुछ सूचनाये भिजवाने बाबत पत्र लिखा इस तरह ग्राम पंचायत के अभिशंषा पर ख.न. 621 ग्राम छापोली की भूमि की बाबत आबादी में परिवर्तन कर आवंटन की कार्यवाही जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के यहा विचाराधीन है। नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलार्थी गण को धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस जिसके जबाब में अपीलार्थीगण ने उपरोक्त व दस्तावेजात सहित तथ्यात्मक अपनी जबाब देही प्रस्तुत कर प्रार्थी के कब्जे को नियमित किये जाने की इस्तदुआ की थी। अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण के जबाब देही को मात्र इस आधार पर नामंजुर कर दिया कि अपीलार्थीगण का कब्जा लगातार नही है। अदालत मातहत का निर्णय सही नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से अपलार्थीगण का कदीमी कब्जा पुख्ता हवेलियॉ बनाकर है। अपीलार्थीगण ने अपनी हेवेली में घरेलू विधुत कलेक्शन ले रखा है। सरकार की ओर से ढाणी में तीन टंकीया बना रखी है जिसमें से अपीलार्थीगण अपने घरों में टंकी बनाकर विधुत/जल संबंध ले रखा है। जिस बाबत पटवारी हल्का ने भी अपनी मौका रिपोर्ट में दर्ज किया है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 11.02.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि पटवारी हल्का छापोली ने पर्चा मौका यादास्त दिनांक 06.01.17 एक प्रिन्टेड फार्म भरा जिसमें अपीर्थीगण की कदीमी आबादी में अतिक्रमण होने की रिपोर्ट नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी को इस आधार पर की गई अपीलार्थीगण ख.न. 621 रकबा 13.51 हैक्टर गैर मुमकीन पहाड़ में 330 वर्ग मीटर में पक्के मकान व 150 वर्ग मीटर में पानी की टंकी छप्पर बनाकर कदीमी कब्जा में है। ख.न. 621 में सोकडला की ढाणी जो करीब 40 घरों की सैकड़ों वर्ष पूर्व विकसित बस्ती है लेकिन वो

रिकार्ड में आबादी दर्ज नही होने के कारण ग्राम पंचायत छापोली में दिनांक 28.07.2016 को ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 31 इस आशय का लिया कि सक्षम अधिकारियों से उपरोक्त भूमि को आबादी विस्तार हेतु दी जाये उक्त प्रस्ताव पर भूमि आवंटन बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने 25.11.16 को चैक लिस्ट बनाई व प्रस्ताव जरिये पत्र प्रस्ताव 16/2292 दिनांक 05.12.16 को तीन प्रतियों में प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को भिजवाया उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने उक्त प्रस्ताव जिला कलेक्टर झुन्झुनूं को भिजवाया जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने अपने पत्र दिनांक 06.01.17 को उपखण्ड अधिकारी से कुछ सूचनाये भिजवाने बाबत पत्र लिखा इस तरह ग्राम पंचायत के अभिशंषा पर ख.न. 621 ग्राम छापोली की भूमि की बाबत आबादी में परिवर्तन कर आवंटन की कार्यवाही जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के यहा विचाराधीन है। नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलार्थीगण को धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस जिसके जबाब में अपीलार्थीगण ने उपरोक्त व दस्तावेजात सहित तथ्यात्मक अपनी जबाब देही प्रस्तुत कर प्रार्थी के कब्जे को नियमित किये जाने की इस्तदुआ की थी। अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण के जबाब देही को मात्र इस आधार पर नामंजुर कर दिया कि अपीलार्थीगण का कब्जा लगातार नही है। अदालत मातहत का निर्णय सही नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से अपलार्थीगण का कदीमी कब्जा पुख्ता हवेलियॉ बनाकर है। अपीलार्थीगण ने अपनी हेवेली में घरेलू विधुत कलेक्शन ले रखा है। सरकार की ओर से ढाणी में तीन टंकीया बना रखी है जिसमें से अपीलार्थीगण अपने घरों में टंकी बनाकर विधुत/जल संबंध ले रखा है। जिस बाबत पटवारी हल्का ने भी अपनी मौका रिपोर्ट में दर्ज किया है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 11.020.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ढाणी सोकड़ाला के खसरा नंबर 621 रकबा 13.51 है0 किस्म गैर0मु0 पहाड़ में 480 वर्ग मीटर पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हल्का पटवारी छापोली की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट्स ने ढाणी सोकड़ाला के खसरा

नंबर 621 रकबा 13.51 है0 किस्म गैर0मु0 पहाड़ में 480 वर्ग मीटर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैद्य हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट में कोई बल नहीं होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 11.02.2017 सरकार बनाम रामकुमार वगैरह मु0नं 01/2017 याथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 27.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू